संख्या–1398/15-7-08-16(29)/2009

प्रेषक,

मगता श्रीवास्तव
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र–2 समुदाय केन्द,
प्रीति बिहार, नई दिल्ली।

शिक्षा (7) अनुभाग   लखनऊः   दिनांक 12 जून 2009

विषयः–   प्रयाग पब्लिक स्कूल लाल गोपाल गंज, इलाहाबाद को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी0बी0एस0ई नई दिल्ली से सम्बद्वता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नही हैं।

(1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
(2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
(3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगे और उनमें उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा।
(4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मॉग नही की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सबद्वता सेंटल बोर्ड आफ सेकेण्डी एजूकेशन नई दिल्ली/कॉसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्वता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगें।

(5) संस्था के शैक्षिक एंव शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तो से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेगें।

(6) कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हे सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध करायें जायगें।

(7) राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश र्निगत किये जायगें संस्था उनका पालन करेगी।

(8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओ में रखा जायेगा।

(9) उक्त शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिर्वतन/संशोधन/परिर्वधन नही किया जायेगा।

3 उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नही किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(ममता श्रीवास्तव)
उप सचिव।

पृ0संख्या एंव दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– शिक्षा निदेशक, माध्यमिक उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2– मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद।
3– जिला विद्यालय निरीक्षक, इलाहाबाद।
4– निरीक्षक आंग्ल भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5– प्रबन्धक, प्रयाग पब्लिक स्कूल लाल गोपाल गंज, इलाहाबाद।
6– गार्ड बुक

आज्ञा से

(ममता श्रीवास्तव)
उप सचिव।